अनीता देवी और अन्य

बनाम

सत्येंद्र नारायण सिंह एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 4291/2008)

10 जुलाई, 2008

(डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम, जे. जे.)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-धारा 166-घातक दुर्घटना- मृतक के आश्रितों द्वारा मुआवजे के लिए दावा- मोटरयान दुर्घटना अधिकरण के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृतक की निश्चित आय का कोई प्रमाण नहीं है-मृतक की अनुमानित आय को रुपए 15,000 /- प्रतिवर्ष मानते हुए प्रतिकर राशि की गणना की गई- उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि-दावेदारों की याचिका कि कई मृतक की आय स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेज दाखिल किए गए थे, जिन पर मोटरयान दुर्घटना अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था- अभिनिर्धारित- मोटरयान दुर्घटना अधिकरण के अभिलेखों से पता चलता है कि कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, जो मृतक की आय के पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं- मृतक की आय से संबंधित मामले पर विचार करने और नए सिरे से मुआवजे का निर्धारण करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। मोटरयान दुर्घटना अधिकरण को निर्देश दिया गया कि वह पहले से ही रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करें।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत मृतक के आश्रितों द्वारा वाहन दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के संदर्भ में मुआवजे के लिए एक याचिका

दायर की गई। मोटरयान दुर्घटना अधिकरण (एम. ए. सी. टी.) ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस सामग्री पत्रावली पर नहीं थी। मृतक की अनुमानित आय 15,000/- रुपए वार्षिक मानते हुए दावेदारों के पक्ष में प्रतिकर का अवॉर्ड पारित किया गया। इस अवॉर्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई।

इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा यह दलील दी गई कि मृतक की आय के संबंध में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे, परंतु मोटरयान दुर्घटना अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया किः-

अभिनिर्धारितः 1.1 अपीलार्थियों के आधार की सत्यता के परीक्षण करने के लिए अनेक दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए थे, जिससे मृतक की आय को सिद्ध किया जा सके। एम. ए. सी. टी. से मूल अभिलेख मंगवाया गया। अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं। यह सच है कि आयकर विवरणी या निर्धारण आदेश की प्रतियाँ पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन अभिलेख पर मौजूद दस्तावेज निश्चित रूप से मृतक की आय के पहलू पर प्रकाश डाल सकते हैं। (पैरा 6) (666-जी-एच; 667-ए)

1.2 एम. ए. सी. टी. के अवॉर्ड, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, को अपास्त किया गया। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों पर विचार करते हुए नए सिरे से मुआवजे का निर्धारण करने के निर्देश के साथ प्रकरण को एम.ए.सी.टी. को प्रतिप्रेषित किया गया। (पैरा 7) (667-ए और बी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 4291/2008

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा एम. ए. सं. 155/2003 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09.07.2004 के विरूद्ध अपील

उपस्थिति:-

देब प्रसाद मुखर्जी, अरविंद कु. लाल और नंदिनी सेन अपीलार्थीगण की ओर से।

ए. के. रैना और डॉ. कैलाश चंद प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची की खण्डपीठ द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 173 (1) में दायर किए गए विविध प्रार्थना पत्र को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में, अपीलार्थीगण का मामला इस प्रकार हैः

प्रमोद कुमार (जिसे आगे 'मृतक' से संबोधित किया गया है) की एक वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें दुर्घटना कारित करने वाली मारुति वैन के रजिस्ट्रेशन नंबर ई.आर.-14 पी-4320 थे। मारुति वैन प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाई जा रही थी। प्रारंभ में प्रमोद कुमार को गंभीर चोटें आई थीं। पहले उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, उसके पश्चात उसे बोकारो सामान्य अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी दिनांक 18.04.2000 को मृत्यु हो गई। मृतक की आयु 37 वर्ष थी। क्षतिपूर्ति के लिए याचिका मृतक के आश्रितों द्वारा अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत दायर की गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में 'एम.

ए. सी. टी.') के द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार 1,39,808/- रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। चूँकि वाहन बीमाकृत था, इसलिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद संदर्भित) के रूप में 'बीमाकर्ता') को मुआवजे की राशि के लिए याचिका दायर करने की दिनांक से 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज सहित, उत्तरदायी ठहराया गया था।

यह पाया गया कि मृतक की आय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की गई है। उसके उपरांत भी, यह अभिनिर्धारित किया गया कि व्यक्तिगत प्रयोग योग्य राशि की कटौती करते हुए, परिकल्पित आय 15,000/- रुपए वार्षिक मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जा सकता है। योगदान 10,216/- रुपए वार्षिक तय किया गया था। 13 का गुणक लागू किया गया और जीवन की हानि के लिए 5,000/- रुपये और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये भी दिए गए। दावेदारों द्वारा इसके विरूद्ध एक अपील, इसकी शुद्धता को चुनौती देते हुए इस आधार पर प्रस्तुत की गई कि वार्षिक आय बहुत कम निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आय अर्जित करने का कोई सबूत नहीं है।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह निवेदन किया गया कि मृतक की आय को साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए हैं। इन दस्तावेजों पर एम.ए.सी.टी. या उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण ने इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है और एम. ए. सी. टी. के द्वारा काल्पनिक आय को विधिसम्मत रूप से अपनाया गया है।

6. अपीलार्थीगण के आधार कि मृतक की आय को साबित करने के लिए अनेक दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए हैं, की सत्यता के परीक्षण हेतु एम.ए.सी.टी. से रिकॉर्ड मंगवाया गया। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि कुछ दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किए गए हैं। यह सही है कि आयकर रिटर्न या आयकर मूल्यांकन आदेश की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई हैं, परंतु अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज निश्चित रूप से आय के पहलू पर प्रकाश डालते हैं।

7. ऐसी स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, हम एम.ए.सी.टी. के अवॉर्ड, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के द्वारा की गई है, को अपास्त करते हैं और एम.ए.सी.टी. को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करते हैं कि वे पत्रावली पर पूर्व में ही मौजूद दस्तावेजों के आधार पर मृतक की आय पर विचार करें और नए सिरे से क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करें।

8. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। मुकदमा खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

बी. बी. बी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी निहाल चंद (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।